सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार
प्रेस–विज्ञप्ति

संख्या– 205
12/03/2026

अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग में "महिला सुरक्षा" विषयक कार्यशाला का द्वितीय चरण आयोजित

पटना, 12 मार्च 2026 :– दिनांक 12.03.2026 को अभियोजन निदेशालय, बिहार पटना के सभा कक्ष में अभियोजन पदाधिकारियों का "महिला सुरक्षा" विषय पर द्वितीय चरण में 05 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन अभियोजन निदेशालय द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम में अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग, बिहार, पटना द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों से नामित कुल 25 (पच्चीस) अभियोजन पदाधिकारियों ने भाग लिया। उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री ओमप्रकाश, पूर्व राज्य सूचना आयुक्त, सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं पूर्व सचिव, बालसा, बिहार, श्री रंजीत शंकर प्रसाद, वरीय विधि पदाधिकारी, गृह विभाग, बिहार, उपस्थित रहे।

कार्यक्रम की अध्यक्षता डा० रविकान्त देव, उपनिदेशक, अभियोजन निदेशालय, बिहार द्वारा किया गया। उनके द्वारा उपस्थित सभी अतिथियों एवं प्रतिभागीयों का स्वागत किया गया। श्री देव द्वारा इस पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए प्रतिभागियों को अपनी कार्यशैली को सृदढ़ बनाते हुए महिला के परिपेक्ष में कार्य करने का अनुरोध किया गया ताकि महिलाओं को वर्तमान विधियों के अन्तर्गत त्वरित न्याय प्रदान कराया जा सके।

श्री रंजीत शंकर प्रसाद, वरीय विधि पदाधिकारी, गृह विभाग, बिहार ने प्रतिभागियों को संबोधित किया तथा अपने संबोधन में कहा कि अभियोजन पदाधिकारी विधि का संरक्षक है तथा यह सिर्फ प्रशिक्षण नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण का मिशन है, साथ ही 05 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य पर विशिष्ट प्रकाश डाला।

मुख्य अतिथि श्री ओमप्रकाश, पूर्व राज्य सूचना आयुक्त, सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं पूर्व सचिव, बालसा, बिहार, अभियोजन पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कानून में सख्त प्रावधान होने के बावजूद भी अपराधी कानून से बचने में सफल हो जाते है। इस विषय पर चिंतन हेतु यह कार्यशाला आयोजित की गई है। अभियोजक सिर्फ अनुसंधान का मात्र वक्ता नहीं है बल्कि न्यायालय के पदाधिकारी है। साथ ही उन्होने यह भी कहा कि निर्भया काण्ड एव

कठुआ काण्ड के पश्चात् महिलाओं के संबंध में कानून में बहुत सारे किये गये परिवर्तन पर प्रकाश डाला। यह प्रशिक्षण सिर्फ किताबी विधिक ज्ञान हेतु नहीं बल्कि आपकों इस प्रकार से संवेदनशील बनाने के लिए है ताकि आप सभी अपने कार्यस्थल पर जा कर धारदार तरीके से पीडिता को न्याय दिला सके।" अपने संबोधन में उन्होंने निदेशालय के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को इस अवसर पर आमंत्रित किये जाने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया ।

श्री धर्मेश कुमार, प्रभारी निदेशक, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा मंचासीन अतिथियों प्रतिभागियों एवं निदेशालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस कार्यक्रम में श्री नित्यानन्द कुमार, उप निदेशक, श्री अरविन्द कुमार, सहायक निदेशक, श्री राजेश कुमार, सहायक अभियोजक, श्रीमति सीमा शर्मा, अभियोजन पदाधिकारी, सुश्री रागिनी कुमारी, अभियोजन पदाधिकारी, नेयाज अहमद, अभियोजन पदाधिकारी, श्री रंजय कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, श्री आलोक कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी तथा श्री ईशाद आलम, प्रोग्रामर, एवं अभियोजन निदेशालय के कर्मी उपस्थित थे।